सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 66/2017 **दायर तारीख : 30-08-2017**

1. पांचूदास पुत्र नारायणदास जाति स्वामी, निवासी मोडाका बाग वार्ड नंबर 05 विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0) **—— वादी**

बनाम

1. मदनलाल
2. सूरजमल
3. रामजीलाल
4. गिरधारी

(1–4) पुत्रान मूलादास

5. पार्वती पत्नि स्व0 मूलादास

(1–5) समस्त जाति स्वामी निवासी मोडाका बाग वार्ड नंबर 05 तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

6. प्रेम पुत्री स्व0 मूलादास पत्नि गोपाल, जाति स्वामी निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर(राज0)
7. सन्तरा पुत्री स्व0 मूलादास पत्नि भैरू जाति स्वामी निवासी टीकलीका बास तहसील बानसूर जिला अलवर(राज0)
8. सुरेश पुत्र स्व. बिदामी पत्नि प्रेमचंद
9. राजू पुत्र स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद
10. विधाधर पुत्र स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद

(8–10) जाति स्वामी निवासी खाचरियावास तह0 दातारामगढ जिला सीकर राज0

11. मुन्नी पुत्री स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति स्वामी निवासी लाडसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू(राज0)
12. सुमन पुत्री स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद पत्नि महेन्द्र जाति स्वामी निवासी रेढा तहसील दातारामगढ जिला सीकर(राज0)
13. उप पंजीयक तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)। **—— प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(अ), 188 राज0 टी0 एक्ट

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादीगण

निर्णय

निर्णय दिनांक:–26.09.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार रहे कि वाके ग्राम बैराठ के साबिक खसरा नंबर 4092 रकबा 12 बिस्वा वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जिसका वक्त साबिक सैटलमेंट संवत् 2008 से 2027 खाता संख्या 759 रहा है। उक्त भूमि पर वरवक्त साबिक सैटलमेंट व उसके पूर्व वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आया है। वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट भी वादी ही उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त एवं उपभोग करता चला आया है। तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। उक्त आराजी मुतानाजा से पतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं मृतक बिदामी पुत्री मूलादास के पूर्वज का कभी भी कोई लेना–देना अथवा कब्जे काश्त नहीं रहा है। पूर्वज मूलादास ने बतौर शिकमी काश्तकार के काश्त नहीं की है, उसने तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर आराजी मुतनाजा की संवत् 2012 से 2015 की गिरदावरी में वादी के अनपढ़ तथा भोलेपन का फायदा उठाकर नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करा ली जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज मूलादास ने अपने परिवारजन के राजस्व विभाग की नौकरी करने का अनुचित लाभ उठाते हुए राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण दिनांक 22.06.1961 को भरवाकर अपने हक में तस्दीक करा लिया, जबकि धारा –19 राज.टी. एक्ट के तहत नायब तहसीलदार को खातेदारी प्रदत्त करने के कोई विधिक अधिकारी प्राप्त नही है। इस कारण उक्त नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 22.06.1961 प्रांरभ से ही वादी के हक हकूको के विरूद्व प्रभावहीन एवं शून्य हैं। यह है कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि नामान्तकरण की कार्यवाही समरी प्रोसीडिग्स की तारीफ में आती है तथा उक्त कार्यवाही में खोदारी हम हकूको का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, साथ ही नामान्तकरण की कार्यवाही को राजस्व वाद बाबत घोषणा खतेदारी में कानूनन रूप में चुनौती दी जा सकती है, जिसके लिए कोई अवधि मियाद निर्धारित नहीं है। आराजी मुतनाजा की जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 452 के कॉलम नंबर 16 में वाद पत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित नामान्तकरण का भी नाजायज रूप से अंकन कर दिया गया तत्पश्चात उक्त नामान्तकरण का जमाबंदी में नाजायज रूप से अंकन कर दिया गया जो काबिज दुरूस्ती है। उपरोक्त प्रकार से गलत एवं गैरकानूनी नामान्तकरण की आड में आराजी मुतनाजा की खातेदारी में मूलादास पुत्र नारायण का नाम जमाबंदी में अंकन कर दिये जाने से वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हकूको पर कोई विपरित असर नहीं पडा है, अपितु वादी आराजी मुतनाजा पर बदस्तुत काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करता चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी काबिज है। भू–प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा के साबिक सैटलमेन्ट के इन्द्राजात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है, बल्कि उन्हें साकिब सैटलमेन्ट के इन्द्राजात की पुरावृति ही करनी चाहिए। उक्त सिद्वान्तनुसार भी साबिक इन्द्राजात खातेदारी भू–प्रबंध संवत् 2008 से 2027 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज मूलादास पूत्र नारायणदास जाति स्वामी के नाम किये गये इन्द्राज वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी हक हकूको के विपरीत होने से अवैध एवं शून्य तथा काबिल दुरूस्ती है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 4092 हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में हाल खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर कायम किए गए है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने कब्जे काश्त तथा खातेदारी हक हकूको के अनुरूप अपने नाम अंकित कराने हेतु कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज मूलादास की जीवन काल में उसे तथा तत्पश्चात उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्ंया 1 लगायत 7 स्व0 बिदामी के जीवनकाल में तथा बिदामी की मृत्यु के बादस उसके विधिक वासिान से निवेदन किया परन्तु आराजी मुतनजा पर कब्जा काश्त वादी का बताकर टालमटोल करते रहे। परन्तु अब प्रतिवादीगण, वादी को आराजी मुतनाजा के बेचान करने, बेदखल करने की धमकिया देते है। अतः निवेदन है कि ग्राम बैराठ के खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादी को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी (सैटलमेंट) साबिक खसरा नबर 4092 ग्राम विराटनगर संवत् 2008–2027, नकल मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 4092 ग्राम विराटनगर, नकल जमाबंदी खसरा नंबर 3345 हाल ग्राम विराटनगर संवत् 2073–2076 आदि पेश किए है।
3. दावा बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. वादी के तथ्यों साबित करने के लिए [illegible] तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 पांचूदास वादी स्वयं व गवाह पी.डब्लू. 2 [illegible] मल, पी.डब्लू. 3 बनवारी पेश हुए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल नामान्तकरण संख्या 217 ग्राम बैराठ तारीख 22.06.1961 **प्रदर्श–1**, नकल [illegible]रित गिरवादावरी साबिक खसरा नंबर 4092 रकबा 2 बिस्वा ग्राम विराटनगर संवत् 2012–2015 **प्रदर्श–2**, आदि पेश किए है।
5. बहस विद्वान अधिवक्ता, पैराकार सरकार सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खातेदारी की भूमि रही है। जिसका वक्त साबिक सैटलमेंट संवत् 2008 से 2027 खाता संख्या 759 रहा है। उक्त भूमि पर वरवक्त साबिक सैटलमेंट व उसके पूर्व वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आया है। वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट भी वादी ही उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त एवं उपभोग करता चला आया है। तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। उक्त आराजी मुतानाजा से पतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं मृतक बिदामी पुत्री मूलादास के पूर्वज का कभी भी कोई लेना–देना अथवा कब्जे काश्त नहीं रहा है। पूर्वज मूलादास ने बतौर शिकमी काश्तकार के काश्त नहीं की है, उसने तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर आराजी मुतनाजा की संवत् 2012 से 2015 की गिरदावरी में वादी के अनपढ़ तथा भोलेपन का फायदा उठाकर नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करा ली जो प्रारंभ से ही अवैध व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज मूलादास ने अपने परिवारजन के राजस्व विभाग की नौकरी करने का अनुचित लाभ उठाते हुए राजस्व अधिकारी के साथ मिलकर आराजी मुतनाजा का नामान्तकरण दिनांक 22.06.1961 को भरवाकर अपने हक में तस्दीक करा लिया, जबकि धारा –19 राज.टी. एक्ट के तहत नायब तहसीलदार को खातेदारी प्रदत्त करने के कोई विधिक अधिकारी प्राप्त नहीं है। इस कारण उक्त नामान्तकरण संख्या 217 दिनांक 22.06.1961 प्रांरभ से ही वादी के हक हकूको के विरूद्व प्रभावहीन एवं शून्य हैं। यह है कि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि नामान्तकरण की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग्स की तारीफ में आती है तथा उक्त कार्यवाही में खोदारी हम हकूको का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, साथ ही नामान्तकरण की कार्यवाही को राजस्व वाद बाबत घोषणा खतेदारी में कानूनन रूप में चुनौती दी जा सकती है, जिसके लिए कोई अवधि मियाद निर्धारित नहीं है। आराजी मुतनाजा की जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 के खाता संख्या 452 के कॉलम नंबर 16 में वाद पत्र की खण्ड संख्या 3 में वर्णित नामान्तकरण का भी नाजायज रूप से अंकन कर दिया गया तत्पश्चात उक्त नामान्तकरण का जमाबंदी में नाजायज रूप से अंकन कर दिया गया जो काबिले निरस्ती है। उपरोक्त प्रकार से गलत एवं गैरकानूनी नामान्तकरण आदि में आराजी मुतनाजा की खातेदारी में मूलादास पुत्र रामसुख का उक्त जमाबंदी में अंकन कर दिये जाने से वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हकूको पर कोई विपरित असर नहीं पडा है, अपितु वादी आराजी मुतनाजा पर बदस्तुत काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग तथा उपभोग करता चला आ रहा है। तथा वर्तमान में भी काबिज है। भू–प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा के साबिक सैटलमेन्ट के इन्द्राजात में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, बल्कि उन्हें साकिब सैटलमेन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इन्द्राजात खातेदारी भू–प्रबंध संवत् 2008 से 2027 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वज मूलादास पुत्र नारायणदास जाति स्वामी के नाम किये गये इन्द्राज वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी हक हकूको के विपरीत होने से अवैध एवं शून्य तथा काबिल दुरूस्ती है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 4092 हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में हाल खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर कायम किए गए है। आराजी मुतनाजा की खातेदारी अपने कब्जे काश्त तथा खातेदारी हक हकूको के अनुरूप अपने नाम अंकित कराने हेतु कई बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज मूलादास की जीवन काल में उसे तथा तत्पश्चात उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 7 स्व0 बिदामी के जीवनकाल में तथा बिदामी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान से निवेदन किया परन्तु आराजी मुतनजा पर कब्जा काश्त वादी का बताकर टालमटोल करते रहे। परन्तु अब प्रतिवादीगण, वादी को आराजी मुतनाजा के बेचान करने, बेदखल करने की धमकिया देते है। वादी के अपने वाद पत्र के तथ्यों साबित करने के लिए वादी की तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 पांचूदास वादी स्वयं व गवाह पी.डब्लू. 2 पूरणमल व पी.डब्लू. 3 बनवारी पेश हुए। साक्ष्यवादी के रूप में उपस्थित पूरणमल एवं बनवारी के प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में कथन रहे कि साबिक खसरा नंबर 4092 रकबा 12 बिस्वा ग्राम बैराठ पांचूदास के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है, जिसका पूराने सेटलमेन्ट संवत् 2008 से 2027 के वक्त खाता संख्या 759 रहा है। उक्त भूमि पर वह पूराने सैटलमेन्ट व उसके पहले सेडी काबिज रहकर काश्त करता चला आया है। तथा राजस्थान काश्तकारी कानून लागू के वक्त भी वह खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त एवं उपभोग करता चला आया है। तथा उक्त भूमि से मूलादास अथवा उसके वारिसान का कभी कोई संबंध नहीं था एवं कब्जा काश्त नहीं रहा । प्रतिवादीगण का पूर्वज मूलादास राजस्व विभाग में राजकीय सेवा में होने के कारण तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर आराजी मुतनाजा की संवत् 2012–2015 की गिरदावरी में पांचूदास के अनपढ तथा भोलेपन का फायदा उठाकर नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करा ली। तथा कथन रहे कि पांचूदास का दावा स्वीकार फरमाया जाकर उसे खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर का खातेदार काश्तक[illegible] फरमाया जाकर उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क[illegible] के लिए पांबद फरमाया जावे कि वादी की [illegible] में [illegible] नहीं करें। विद्वान अधिवक्ता वादी ने न्यायिक दृष्टांत के रूप में 2015([illegible]) Rajsthan revenue times -506, 2017 RBJ -182, 2011(2) Rajasthan Revenue times- 1298, 2015(2) Rajasthan Revenue Times- 1007, 2019(2) Rajasthan Revenue Times-1118 पेश किए। वकील वादी एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं होता है कि वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर पर वादी का अधिकार है। ऐसे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

वादी का दावा खारिज करने योग्य है। अतः वादी का दावा खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>आदेश</u>

वादी का वाद पत्र वाके ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 3345/0.18 हैक्टेयर का वादी को काश्तकार खातेदार घोषित करने का दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 92(अ), 188 राज0 टी0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– जयवीर सिंह आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. पांचूदास पुत्र नारायणदास जाति स्वामी, निवासी मोडाका बाग वार्ड नंबर 05 विराटनगर, तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)

–– वादी

बनाम

1. मदनलाल
2. सूरजमल
3. रामजीलाल
4. गिरधारी

} पुत्रान मूलादास

5. पार्वती पत्नि स्व0 मूलादास

} समस्त जाति स्वामी निवासी मोडाका बाग वार्ड नंबर 05 तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

6. प्रेम पुत्री स्व0 मूलादास पत्नि गोपाल, जाति स्वामी निवासी खाचरियावास तहसील दातारामगढ जिला सीकर(राज0)
7. सन्तरा पुत्री स्व0 मूलादास पत्नि भैरू जाति स्वामी निवासी टीकलीका बास तहसील बानसूर जिला अलवर(राज0)
8. सुरेश पुत्र स्व. बिदामी पत्नि प्रेमचंद
9. राजू पुत्र स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद
10. विधाधर पुत्र स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद

} जाति स्वामी निवासी खाचरियावास तह0 दातारामगढ जिला सीकर राज0

11. मुन्नी पुत्री स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाति स्वामी निवासी लाडसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू(राज0)
12. सुमन पुत्री स्व0 बिदामी पत्नि प्रेमचंद पत्नि महेन्द्र जाति स्वामी निवासी रेढा तहसील दातारामगढ जिला सीकर(राज0)
13. उप पंजीयक तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)।

–– प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 66/20[illegible] दा० बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 92(अ), 188 राज0 टी0 एक्ट यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मातादीन शर्मा एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बैराठ के खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे

सुना गया। वाद पत्र में वादी अधिवक्ता को सुना गया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे वादी खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर का वादी का खातेदार काश्तकार होना साबित नहीं होता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का दावा खसरा नंबर 3345 रकबा 0.18 हैक्टेयर दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 89, 92(अ), 188 राज0 टी0 एक्ट वादपत्र को खारिज किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 26.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... ...खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 26.09.2019** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय मुतजारिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: Self Attested

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:48:48 IST
Reason: SelfAttested